संख्या-285/2024/I/706284/2024/23-11002(002)/24/2021

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण,

गोमती नगर, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 31-07-2024**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के लिए वेतन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक/सदस्य (वित्त), उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के पत्रांक-318/लेखा/बजट/2024-25/उपशा/लखनऊ, दिनांक 21-06-2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 789.29 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 789.29 लाख (रूपये सात करोड़ नवासी लाख उन्तीस हजार मात्र) को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धो के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16ए में दिए गये सहायक अनुदान के सामान्य नियमों/स्थायी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय। कार्यात्मक आवश्यकतानुसार कोषागार से धनराशि आहरित की जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक, डिपॉजिट खाते में न रखी जाय।

(2) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों तथा वित्त विभाग के आदेशों/वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के प्राविधानों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।

(4) आहरण/व्यय की सूचना उ0प्र0 शासन तथा महालेखाकार (राजकोष/लेखा) उ0प्र0, प्रयागराज को प्रेषित की जायेगी तथा लेखों का मिलान महालेखाकार के खाते से किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 7,89,29,000 (रूपये सात करोड़ नवासी लाख उन्तीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक

http://shasanadesh.up.nic.in

3054038000301 राज्य मार्गो का अनुरक्षण मानक मद 31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- सदस्य, वित्त उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मण्डी भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/4
9- लोक निर्माण अनुभाग-10
10- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in